विनियामक और अन्य उपाय

मार्च 2009

आरबीआइ/2008-09/1407 संदर्भ सं.शबैंवि.पीसीबी. पारि सं.54/13.05.000/2008-09 दिनांक 09 मार्च, 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर क्रमशः 30 जुलाई 2008 तथा 17 नवंबर 2008 के परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.5/13.05.000/2008-09 तथा शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.27/13.05.000/2008-09 देखें।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने ऋण राहत योजना के अंतर्गत 'अन्य किसान' द्वारा पहली किस्त चुकता करने की तारीख 30 सितंबर 2008 को बढ़ाकर 31 मार्च 2009 करने का निर्णय लिया है। दूसरी तथा तीसरी किस्तों के भुगतान की तारीखें 31 मार्च 2009 तथा 30 जून 2009 अपरिवर्तित रहेंगी।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऋण राहत योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के लिए अनुमत उनके द्वारा संबंधित खाता की मानक आस्ति वर्गीकरण स्थिति प्रभावित किए बिना निपटान के उनके हिस्से का भुगतान करने के लिए पूर्व-निर्धारित अंतिम तारीखों से एक माह की अतिरिक्त समय सीमा केवल पहली दो किस्तों अर्थात 31 मार्च 2009 को देय किस्तों के लिए उपलब्ध होगी। तथापि, अंतिम किस्त के लिए समय सीमा में कोई रियायत नहीं दी जाएगी तथा किसान के ऋण का संपूर्ण हिस्सा 30 जून 2009 तक देय होगा ताकि ऋण राहत योजना के लिए ञअन्य किसानट की पात्रता तथा मानक आस्ति वर्गीकरण स्थिति बनाई रखी जा सके।

भारिबैं/2008-09/403 संदर्भ सं.यूबीडी.पीसीबी. बीपीडी.53/13.05.000/2008-09 दिनांक 6 मार्च 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्संरचना के संबंध में विवेकसम्मत मानदंड

कृपया पुनर्संरचित लेखों के संबंध में शहरी सहकारी बैंकों को 12 नवंबर 2001 को जारी किए गए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण विषयक विवेकसम्मत मार्गदर्शी सिद्धांत देखें। 2005 में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के एक अंग के रू प में सभी पात्र लघु और मध्यम उद्यमों के ऋण की पुनर्संरचना हेतु अलग से जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत भी देखें ताकि लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बेहतर बनाया जा सके।

2. मौजूदा आर्थिक मंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के फैलने से हुए प्रभावों, विशेष रू प से सितंबर 2008 के बाद के प्रभाव जिसने इकाइयों/ गतिविधियों के चलनिधि और भुगतानों पर एक दबाव पैदा कर दिया है जो कि अन्यथा व्यवहार्य इकाइयां/ गतिविधियां थीं। अतः इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में कतिपय आशोधन आवश्यक समझे गए हैं। इस मामले की समीक्षा की गई है और अब यह निर्णय लिया गया है कि अग्रिमों की पुनर्संरचना के संबंध में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत लागू किए गए तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के संबंध में मौजूदा अनुदेशों को फिर से अनुकूल बनाया जाए।

3. अग्रिमों की पुनर्संरचना के संबंध में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत संलग्न हैं। यह मार्गदर्शी सिद्धांत इस विषय पर अब तक जारी किए गए सभी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण हैं।

भारिबैं/2008-09/445 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.321/ 07.01.279/2008-09 दिनांक 21 अप्रैल 2009

सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारी

बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं

कृपया 21 अप्रैल 2009 के रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य 2009-10 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत स्थायी रिपो दर 25 आधार अंक घटाकर 5.0 प्रतिशत से 4.75 प्रतिशत तत्काल प्रभाव से कर दी गई है।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक से बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को दी जानेवाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं 21 अप्रैल 2009 से संशोधित रिपो दर अर्थात 4.75 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी।